

भाग-5

(इस वन प्रभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य अधिकारी को अवसर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है)

मेसर्स टॉरेंट गैस प्राइवेट लि० लखनऊ द्वारा जनपद बाराबंकी के अंतर्गत नेचुरल गैस पाइप लाइन बिछाये जाने हेतु लखनऊ-सुलतानपुर मार्ग एन०एच०-56 (नया- 731) के चैनेज-54.86 से 64.00 के मध्य दांयी पटरी पर प्रभावित 0.4562 हे० संरक्षित वनभूमि तथा हैदरगढ़-भितरिया मार्ग के किमी० 0.00 से 11.23 के मध्य बांयी पटरी पर 0.5516 हे० संरक्षित वनभूमि अर्थात् कुल 1.0078 हे० संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।(प्रस्ताव सं०-एफपी/यूपी/पाईपलाइन/123162/2021)

राज्य सरकार की सिफारिशें - पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-पी-14/81-2-2022-800(31)/2022 दिनांक 23 मार्च 2022 के द्वारा प्रस्तुत पर संस्तुति सहित अनुमोदनार्थ अग्रसारित।

(उपर्युक्त भाग-ख या भाग-ग या भाग-घ में से किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकृत टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाये।

हस्ताक्षर

Signed by आशीष तिवारी

Date: 23-03-2022 16:35:42

Reason: Approved

()

नाम और पदनाम सरकारी मोहर सहित
(आशीष तिवारी)

सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु
परिवर्तन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।